न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 03/2015

| सायल | बनाम | गैर सायल |
|---|---|---|
| जिला पुलिस अधीक्षक<br>बाड़मेर | | खंगाराराम पुत्र हरजीराम<br>जाति जाट निवासी पायलाखुर्द<br>पुलिस थाना सिणधरी जिला बाड़मेर |

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 ख (iii) व (viii)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर सायल की ओर से।
2. श्री बींजाराम गोदारा अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय दिनांक 03.10.2016

1. सायल की ओर से दिनांक 17.07.2015 को गैर सायल खंगाराराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी पायलाखुर्द पुलिस थाना सिणधरी के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 ख (iii) व (viii)/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आर्ले दर्जे का बदमाश एवं शराब तस्कर है। अपना स्वार्थ सिद्व करने व वर्चस्व कायम करने के लिये शराब की तस्करी को पेशा बना रखा है तथा आमजन के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने पर आमादा है। यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है, तो यह अपने सहयोगियों की सहायता से उसे धमकाता है, आम आदमी भयभीत है एवं इसके विरूद्व गवाही देने से कतराता है। न्यायालय द्वारा सजायाब करने के उपरान्त भी यह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व कुल 07 प्रकरण राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज होकर, चालान न्यायालय में पेश किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा निम्न 04 प्रकरणो में दोषी पाया गया एवं सजा हुई है एवं 03 प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन है।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

1. मुकदमा संख्या 49/28.05.2005 अन्तर्गत धारा 19/54 आब..अधिनियम चालान नंबर 36/31.05.2005 निर्णय दिनांक 02.09.2008 सजा
2. मुकदमा संख्या 125/05.12.2005 अन्तर्गत धारा 19/54 आब..अधिनियम चालान नंबर 84/14.12.2005 निर्णय दिनांक 20.07.2009 सजा
3. मुकदमा संख्या 74/17.09.2006 अन्तर्गत धारा 19/54 आब..अधिनियम चालान नंबर 60/29.09.2006 निर्णय दिनांक 22.02.2010 सजा
4. मुकदमा संख्या 42/08.06.2007 अन्तर्गत धारा 19/54 आब..अधिनियम चालान नंबर 35/16.06.2007 निर्णय दिनांक 20.07.2009 सजा

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।

3. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 07.10.2015 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल के विरूद्व पुलिस द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर इस्तगासा पेश किया गया है। गैर सायल के विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 7 प्रकरणों में से 4 प्रकरणो में सजा नहीं देकर परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ देकर अभियोजन व्यय की राशि जमा कराने पर रिहा किया गया है। गैर सायल शराब तस्कर नहीं है एवं न ही बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है। गैर सायल द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 110 की परिभाषा में आने वाला कोई अपराध नहीं किया है। गैर सायल विकलांग एवं गरीब परिवार से है, पूरा परिवार गैर सायल पर आश्रित है। गैर सायल के विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुए है, परन्तु गैर सायल कोई आदतन अपराधी नहीं है, न ही उसने किसी व्यक्ति को डराया धमकाया अथवा समाज में किसी व्यक्ति से कोई धोखाधड़ी ठगी नहीं की है। इसलिये गैर सायल के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त करवाई जावें।

4. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी–अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री रामनिवास थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी के बयान करवाऐ गऐ व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया। गैर सायल के वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में टीकमाराम पुत्र लालाराम को पेश किया गया, जिसके बयान कलमबद्व किये गये।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

5. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत कुल दर्ज 07 प्रकरणों में से 04 में न्यायालय द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहतं दोषी करार दिया जाकर जुर्माने स दण्डित किया गया है। सायल पक्ष के साक्ष्य श्री रामनिवास थानाधिकारी सिणधरी ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम 1975 के तहत 07 मुकदमों में से 4 प्रकरणों में सजा होकर जुर्माना से दण्डित होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) में वर्णित स्थितियॉ विद्यमान होने से गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का प्रर्याप्त आधार होना जाहिर किया।

6. गैर सायल के विद्वान वकील ने लिखित बहस पेश करते हुए जाहिर किया कि पुलिस इश्तगासा में गैर सायल के विरूद्व 07 मुकदमें बताये गये है, जो धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के है उक्त मुकदमें वर्ष 2005 से 2012 के मध्य दर्ज होना बताया। गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2012 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। गैर सायल ने कभी भी अवैध शराब बेचने का धन्धा नहीं किया। गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाऐं।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपराधिक अभिलेख का भी भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल खंगाराराम आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो अवैध शराब बेचने में सक्रिय है। अवैध शराब कभी भी जहरीली होकर मानव जीवन को भारी क्षति पहुंचा सकती है एवं जिससे व्यापक जनहानि हो सकती है। गैर सायल के विरूद्व पुलिस थाना सिणधरी में 07 प्रकरण धारा 19/54 दर्ज के तहत दर्ज होकर लिप्त होना पाया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अधीन कम से कम दो बार सिद्वदोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्व राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। सायल द्वारा गैर सायल के

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय ईएक्सपी.16, ईएक्सपी.17, ईएक्सपी.18 एवं ईएक्सपी.19 अनुसार गैर सायल के विरूद्व 04 मुकदमों में सजा होना पाया गया है, ये सभी मुकदमें आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बालोतरा द्वारा निर्णय दिनांक 02.9.2008, दिनांक 20.07.2009, दिनांक 22.02.2010 एवं निर्णय दिनांक 20.07.2009 से गैर सायल को आरोपित आरोप अन्तर्गत 19/54 आबकारी अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया गया है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के प्रावधानो के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में गैर सायल खंगाराराम पुत्र हरजीराम को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाड़मेर जिला से निष्कासित कर, उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैर सायल जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा निर्धारित पुलिस थाना में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और सदाचार एवं शान्ति बनाये रखेगा। गैर सायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा। गैर सायल खंगाराराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका रूपये 10000/– एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 एवं नियम 18 के तहत पेश कर, तस्दीक करायेगा। गैर सायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल बाड़मेर जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, अगर गैर सायल 15 रोज के भीतर इस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को सुपुर्द कर, पालना सुनिश्चित करावें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 03.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर